International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-6+7 Issue 12+1+2, March+April+May'2019 pp.(14–16)

# गुर्जर समुदाय में गोत्र व विवाह की परम्परा : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण ( हरदा जिले के संदर्भ में)

स्मिता मोरछले
शोधार्थी
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.)

**सार संक्षेप**

प्रस्तुत शोधपत्र गुर्जर समुदाय में गोत्र व विवाह प्रक्रिया में संबंध पर आधारित है। ''गोत्र का अर्थ है हमारे कुल पुरूष यां वंश पुरूष के नाम के साथ जुड़ाव। गुर्जर क्षत्रियों में लगभग 1500 गोत्र हैं। इनमें सभी गोत्रों के वंशज समान होते हैं।

विद्वान मानते हैं कि गोत्रों का विकास पहले हुआ और जातियां बाद में बनी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गोत्र व्यवस्था ने व्यक्तियों को एकत्र करके रखा उनमें समन्वय ,सहनशीलता आदि अनेक गुणों के विकसित होने में काफी योगदान दिया।'' हरदा जिले के गुर्जर समुदाय में गोत्र का संबंध विवाह की प्रक्रिया व मान्यताओं पर भी स्पष्ट दिखाई देता है।

## प्रस्तावना :–

भारत की प्राचीन संस्कृति में वर्ण व्यवस्था के विकास के साथ ही गोत्र का प्रचलन हुआ है। वह आदि पुरूष जिसके नाम से वंशजों की पहचान होती है। उसी के नाम से गोत्र प्रचलित हुए है। चौधरी खुर्शीद भाटी[17] के अनुसार ''गोत्र का अर्थ है वंश परम्परा में जो हमारा कुल पुरूष या वंश पुरूष है, उसके नाम के साथ जुड़ाव। ''गोत्र निर्माता अपने पूर्वजों के नाम से गेात्र का निर्माण करते गए जैसे विश्वामित्र ने अपने दादा कौशिक के नाम कौशिक गोत्र प्रारंभ किया। साधारणतः जब कई वंश समूह अपना संबंध किसी एक ही पूर्वज चाहे वह काल्पनिक ही क्यों न हो, से मानने लगते हैं तब ऐसे बड़े समूह को गोत्र कहा जाता है। गोत्र का विवाह से अटूट संबंध है।

मजूमदार तथा मदान '' के अनुसार एक गोत्र कुछ वंश समूहों का वह योग व संगठन है जो अपनी उत्पत्ति एक काल्पनिक पूर्वज से मानता है। वह पूर्वज कोई ऋषि मुनि या देवता भी हो सकता है।

## गुर्जरों में गोत्र परम्परा :–

गुर्जर क्षत्रियों के आज लगभग एक हजार पॉच सौ गोत्र हैं, जो एक सौ ग्यारह शासक वंशो की शाखाऐं है।[18] गुर्जर वंशों का विभाजन उनकी विद्या, कला कौशल, मान मर्यादा तथा प्रतिष्ठा तथा वर्तमान में उच्च धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों का कारण एक प्राचीन छंद है। गुर्जर समुदाय में गोत्र एक महत्वपूर्ण इकाई है। गुर्जर समुदाय का प्रत्येक समूह अपनी वंश परम्परा की किसी काल्पनिक या वास्तविक पूर्वज से मानते हैं, यह पूर्वज मानव, कोई देवता या कोई विशेष प्राणी भी हो सकता है। जो व्यक्ति स्वंय को और समूह के दूसरे सदस्यों को एक ही पूर्वज के वंशज मानते हैं या एक ही पूर्वज से अपनी उत्पत्ति होने का दावा करते हैं उनमें एक गोत्र का निर्माता होता है। यह स्पष्ट होता है कि गोत्र एक वास्तविक समूह न होकर समान वंश परम्परा में विश्वास करने वाले व परिवारों का समूह है। अपने शोद्य अध्ययन के दौरान यह जानने का प्रयास किया और गुर्जर समाज के बुर्जुग स्त्री–पुरूषों से पूछा कि गोत्र परम्परा कहॉ से प्रारम्भ हुई आप अपने गोत्र के बारे में क्या जानते हैं । इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, आपके गोत्र का नाम कैसे पड़ा तो वे स्पष्ट नहीं बता पाए। वास्तव में गोत्र से संबंधित धारणाऐं समय और समझ के साथ संशोधित और परिष्कृत होती जा रही हैं अतः इनके मौलिक अर्थ और उत्पत्ति को जानना कठिन हो गया।

गुर्जर समुदाय में सभी गोत्रों के वंशज समान होते हैं, जो कि गांव की नीव रखने वाले होते हैं। गुर्जर समुदाय में सभी गोत्रों के वंशज सामाजिक कार्यक्रमों और उत्सवों में समान रूप से भाग लेते हैं। छोटे गॉवो और समुदायों में गोत्रों के बीच संबंध मजबूत होते हैं। हरदा जिले के बड़े–बड़े गांवो में जहॉ गुर्जर समुदाय के कई गोत्रों के परिवार रहते हैं। वहॉ विचार न मिलने और वर्चस्व व स्वहितों के लिए तड़ जैसी सामाजिक बुराई भी देखने को मिलती है। गुर्जर समुदाय विभिन्न गोत्र समूहों के द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं।

इवेन्सन (1916) भण्डारकर (1921) स्मिथ (1924) और शर्मा (1965) ने यह स्वीकार किया है कि छटी शताब्दी तक गुर्जर परिहार, परमार, सोलंकी, चौहान और तोमर गोत्र से संबंधित थे। सन् 1931 की जनगणना के अनुसार गुर्जरों की जनसंख्या 2,430,669 थी। वे मुख्यतः अजमेर, मेवाड़, मध्य प्रांत, वेराट पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत, जम्मू और कश्मीर में निवासरत थे।

## गोत्रों के विकास में गुर्जरों का योगदान :–


Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-6+7 Issue 12+1+2, March+April+May'2019 pp.(14–16)

समाजशास्त्र के विद्वानों की मान्यता है कि गोत्रों का विकास पहले हुआ और जातियॉ बाद में बनी। गोत्र परम्परा को परवान चढ़ाने में गुर्जरों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। सम्पूर्ण भारत में गुर्जरों के 1200 गोत्रों का पता लग चुका है। अधिक इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया है कि और राजपूत, कुर्मी तथा मराठा आदि क्षत्रिय जातियों का अधिकांश भाग भी गुर्जरों से ही बना है। जाट और राजपूत जाति के अधिकांश गोत्र गुर्जरों से मिलते हैं। आभीरो के भी गोत्र गुर्जरो से मिलते हैं। अनेक जातियों में '' बड़गुर्जर'' गोत्र का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि गडरिया, सुनार, नाई कुम्हार, सैनी, कर्मी आदि भी गुर्जरों से किसी न किसी रूप में संबंधित रहे होगें।[19]

गुर्जर देश के अनेक राज्यों में निवास करते हैं इनकी नस्ल तो एक है पर गोत्र अलग–अलग हैं। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जम्मू कश्मीर, पंजाब में गुर्जरों में बहुत ही कम गोत्रों में समानता है। सभी के गोत्र अलग–अलग हैं। हरदा जिले के गुर्जर जो भुआणी और गुर्जरी मिश्रित बोली बोलते हैं। इन्होंने शिक्षा के प्रसार के साथ गोत्रों के उच्चारण भी सुधार लिए हैं जैसे पटल्या गोत्र पाटिल, बाक्या गोत्र बांके, मुछाला गोत्र मोरछले, दुगायां गोत्र दोगने बंड गोत्र वर्मा, रांडवा गोत्र रानवे लिखा और बोला जाने लगा इसी प्रकार अन्य गोत्रों में भी बदलाव किया गया। यथा हरदा जिले के 140 गांवो में गुर्जर समुदाय के विभिन्न गोत्र जैस पाटिल (पटल्या) महन्त, मुकाती, खोदरे (खोद्रया), दुबले (दुबल्या), बांके (बाक्या), पटवारे (पटवारया), चौधरी, पुनासे (पुनास्या), आम्बे (आम्या), वर्मा (बंड), मलगाया, रात्रे (रात्रया), बारंगे (बारंगा), बागरे (बागड़ा), पेटवले (पेटवल्या), बोरदे (बोरढ्या), उन्हाले (उन्हाल्या) मांगुले (मांगुल्या), ढापकरी, ढई, रायखेरे (रायखेड्या), टुले (टुल्या), टाले (टाल्या), रानवे (रांडवा), चाचरे (चाचर्या), फूलरे (फूलड़या), छलोत्रे, बुच (बुचा), कूटमाले (कूटमाल्या), ऑजने (अन्जन्या), गौंधर, कानवे (कोल्या), खोरे (खोड़या), बोघा, अख्डेले, करोड़े, भायरे (भायड़या), सनखेरे (सनखेड़या), रात्रे, साद, साव, मोरछले (मुछाला), खंडिया, इंगले (इंगल्या), माछले (माछल्या), सेजगायां, बिजगावने (विजगावन्या), दोगने (दुगायां), मूरलिया आदि है।

## विवाह :–

समाज में प्रचलित एंव स्वीकृत विधियों द्वारा स्थापित किया जाने वाले दाम्पत्य संबंध को विवाह कहते है। इस संबंध द्वारा पति पत्नि को कई अधिकार और कर्त्तव्य प्राप्त होते है। मनुस्मृति[14] के टीकाकार मेघातिथि के अनुसार ''विवाह एक निश्चित पद्धति से किया जाने वाला, अनेक विधियों से सम्पन्न होने वाला तथा कन्या को पत्नि बनाने वाला संस्कार है।'' प्राचीन एंव मध्यकाल के धर्मशास्त्री तथा आधुनिक काल के समाजशास्त्री समाज द्वारा अनुमोदित परिवार की स्थापना करने वाली किसी भी पध्दति को विवाह मानते हैं। विवाह एक सामजिक संस्था है इस संस्था की अनुमति से ही कोई स्त्री एंव पुरूष एक साथ रह सकते हैं। विवाह स्त्री व पुरूष के कानूनी और धार्मिक रूप से साथ–साथ रहने के लिए दी गई सामाजिक मान्यता है। विवाह मानव समुदाय की महत्वपूर्ण प्रथा, समाज का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई तथा परिवार का मूल रचने वाली है।

भारत में सर्वप्रथम श्वेतकेतू ने विवाह संस्था की शुरूआत की थी।[15] वैयक्तिक दृष्टि से विवाह को पति–पत्नि की मैत्री और साझेदारी कहा गया। दोनों के सुख, विकास और पूर्णता के लिए सहयोग, प्रेम सेवा निस्वार्थ त्याग आदि गुणों की शिक्षा वैवाहिक जीवन से प्राप्त होती है। प्राचीन यूनान रोम, भारत जैसे सभ्य देशों में विवाह को धार्मिक बंधन व कर्तव्य माना गया है। विवाह का का धार्मिक रूप से भी महत्व है । कई समुदाय में विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता है। वेस्टरमार्क[16] ने '' विवाह को एक या अधिक पुरूषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ ऐसा संबंध बताया है जिसमें दोनों पक्षों व उनकी संतान को कुछ अधिकार व कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं।'' आर्थिक दृष्टि से विवाह के पश्चात् पत्नि व बच्चों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व पुरूष का होता है । पति द्वारा उपार्जित धन संपत्ति पर पत्नी व वैध संतानों का अधिकार स्वीकार किया जाता है।

विवाह के कर्तव्य और उत्तरदायित्व वर व वधु की इच्छा पर निर्भर नहीं हैं वे समाज की रूढ़ियों, परम्पराओं और कानून द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रत्येक समाज विवाह द्वारा मनुष्य की उच्श्रृंख्ल यौन भावनाओं पर अंकुश लगाकर उसे नियंत्रित कर समाज में नैतिकता की रक्षा करता है। किसी भी समाज में मनुष्य विवाह करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है।

## गुर्जर समुदाय में विवाह प्रक्रिया का गोत्र से सम्बन्ध –

गुर्जर समुदाय में वर्हिविवाह की प्रथा प्रचलित है जिसमें विवाह परिवार ,गोत्र ,प्रवर ,पिण्ड आदि से बाहर किया जाता है । इनमें पिता और मामा परिवार के गोत्र को वर्जित गोत्र माना गया है। ये वर्जित गोत्रों से बाहर भी पीढ़ियों से विवाह करते आ रहे हैं। परन्तु वर्तमान में सामाजिक गतिशीलता के कारण कई परिवारों में सगोत्री विवाह भी चलन में आ गये हैं।

**विवाह में प्रचलित मान्यतायें एवं प्रक्रिया**


Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-6+7 Issue 12+1+2, March+April+May'2019 pp.(14–16)

| क्रं. | आयु समूह | उत्तरदाता का लिंग | | बच्चों के विवाह सें संबंधित | | | | | | | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | समाज में परन्तु वर्जित गोत्र में नही | | अपने समाज के किसी भी गोत्र में | | समाज से बाहर परन्तु हिन्दू | | अन्य | | |
| | | पुरूष | स्त्री | पुरूष | स्त्री | पुरूष | स्त्री | पुरूष | स्त्री | पुरूष | स्त्री | |
| 1 | 34-25 | 02 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 2 | 44-35 | 11 | 05 | 06 | 05 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | 54-45 | 37 | 04 | 19 | 02 | 18 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 4 | 64-55 | 56 | 09 | 33 | 05 | 21 | 02 | 02 | 02 | 0 | 0 | 65 |
| 5 | 74-65 | 38 | 13 | 27 | 08 | 11 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 6 | 84-75 | 15 | 07 | 09 | 04 | 06 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 7 | +85 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 |
| | योग | 161 | 39 | 95 | 25 | 63 | 12 | 03 | 02 | 0 | 0 | 200 |

उपरोक्त तालिका से निम्न तथ्य प्रकट होते हैं –

1. सर्वाधिक 60 प्रतिशत(120) उत्तरदाता अपने बच्चों का विवाह समुदाय के वर्जित गोत्र में नही करते हैं।
2. 37.5 प्रतिशत (75) उत्तरदाता गुर्जर समुदाय के किसी भी गोत्र में बच्चों का विवाह संबंध कर देते हैं।
3. 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता समुदाय से बाहर अन्य हिन्दू जाति के परिवारों में बच्चों का विवाह संबंध कर देते हैं।
4. 55 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश उत्तरदाता वर्जित गोत्रों में अपने बच्चों का विवाह नही करते हैं।

## निष्कर्ष :–

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सगोत्री व वर्हिगोत्री विवाह का संबंध आयु के अनुसार वैचारिक स्थिति से है। जबकि अंतरजातीय विवाह का संबंध परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति से है । 55 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश पालक बच्चों का विवाह वर्जित गोत्र में नही करते हैं । शिक्षित परिवारों में वर्तमान में होने वाले विवाह संबंधो में योग्यता को अधिक महत्व देने के कारण सगोत्री विवाह भी गुर्जर समुदाय में होने लगे हैं । हरदा जिले के गुर्जर समुदाय में बालिका लिंगानुपात कम होने से एक पुत्र संतान पर परिवार नियोजन अपनाने से , गरीबी के कारण विवाह के लिये लड़किया न मिलने की दशा में अन्य समुदाय में विवाह करना इन परिवारों की मजबूरी हो गई है । बढ़ते हुये औद्योगीकरण , नगरीकरण , पश्चिमीकरण ,शिक्षा के व्यापक प्रसार , स्त्री आंदोलन , धर्म के प्रभाव में कमी ,रोमांस पर जोर तथा विवाह संबंधी कानूनों के उदार होने आदि कारणों से विवाह का परम्परागत स्वरूप बदल रहा है। इसमें अनेक परिवर्तन आ रहे हैं जिससे हरदा जिले का गुर्जर समुदाय भी अछूता नही रहा है। इन कारणों से विवाह व गोत्र के संबंध में सिथिलता पाई गई।

## संदर्भ सूची

1. चौ. खुर्शीद भाटी , गुर्जरों का सम्पूर्ण इतिहास पृ. 173
2. राणा अली हसन चौहान तारीखे गुर्जर पृ. 287
3. डॉ. दयाराम वर्मा गुर्जर वैभव पृ. 02
4. मेघातिथी मनुस्मृति पृ. 3/20
5. हरिदत्त वेदालंकार हिन्दू विवाह का इतिहास

वेस्टरमार्क हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज तीसरा खंड


Corresponding Author : email :